Volume-8, No. 2 Aug.-2021, pp. Hin.08-12

ग्रामीण विकास में मनरेगा का योगदानः एक विश्लेषण

मि. सचिन कुमार, शोध छात्र
राजनीति विज्ञान विभाग
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ उत्तर–प्रदेश भारत।

सारांश
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गाँवों में निवास करता है। जो कृषि पर निर्भर है। कृषि के अलावा रोजगार के साधन शून्य हैं। ग्रामीणों का जीवन रोजगार के अभाव में समस्याग्रस्त रहता है। ग्रामीण भारत के उत्थान हेतु भारत सरकार निरन्तर प्रयासरत् है और इसी दिशा में सरकार के द्वारा समय–समय पर कई विकास तथा रोजगार परक योजनाएं चलाई गई। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। मनरेगा इसी क्रम में एक बेहतरीन प्रयास है। मनरेगा से जहां ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिला है वहीं पैसा हाथ में आने से गाँवों के लोगों की क्रयशक्ति भी बढ़ी है। यही नहीं मनरेगा के तहत गाँवों में ऐसी परियोजनायें चलाई जा रही हैं जिनसे ग्रामीणों को घर के पास ही रोजगार तो मिला है साथ ही गाँवों का विकास भी हो रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए मनरेगा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, चूंकि इसके जरिये वृक्षारोपण, वन संरक्षण परियोजना को नई रोशनी मिली है। ग्रामीण विकास शब्द का अर्थ किसी अल्प या संकीर्ण आर्थिक वृद्धि की स्थिति से नहीं लगाया जा सकता। बल्कि ग्रामीण विकास एक सेवा आन्दोलन है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र, समाज और देश की सम्पूर्ण व्यवस्था विकास कार्य से जुड़ती है। वैश्विक मन्दी के इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को मनरेगा ने सहारा भी दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आई.एम.ओ. द्वारा मई 2009 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में आर्थिक मन्दी का बहुत खराब दौर दिखाई दे रहा है तथा आगामी कुछ वर्ष भयावह हो सकते हैं, किन्तु भारत द्वारा सामाजिक सुरक्षा के रूप में संचालित की जा रही रोजगार गारण्टी योजना 'मनरेगा' ने देश को संकट से बचा लिया है।

मुख्य शब्द– मनरेगा, नियोजन गारन्टी स्कीम, बेकारी भत्ता।

ग्रामीण विकास से आशय–

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र, जिसे विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, सर्वांगीण विकास की बात करने पर सर्वप्रथम वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की तरफ निहारना पड़ता है, जहाँ सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत लोग निवास करते हैं। यद्यपि लाखों वर्षों की यात्रा के उपरान्त मानव 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है, आज नगरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी विकास के मानदण्ड बन चुके हैं, परन्तु ''भारत'' मूल रूप से आज भी नगरीकरण की चौखट पर खड़ा अपनी अनेक समस्याओं से उलझता हुआ ''ग्रामीण भारत'' के रूप में माना जाता है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शुद्ध पेयजल, आवास, स्वच्छता आदि से वंचित है। ऐसा क्यों है?

किसी भी राष्ट्र का विकास एवं खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कितनी सूझबूझ से किया है। आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। अब चूँकि भारत के अधिकांश लोग गाँवों में रहते हैं, अतः भारत के समग्र विकास के लिए भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है–प्रथम संरचनात्मक विकास तथा द्वितीय सामाजिक विकास।

जहाँ एक ओर संरचनात्मक विकास के अन्तर्गत परिवहन, विद्युत, संचार तथा बैंकिंग आदि को सम्मिलित किया जाता है, वहीं सामाजिक विकास में आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता आदि मुख्य है, जो प्राथमिक सेवाओं के रूप में होते हैं। विकास कार्यों का जीवन की गुणवत्ता तथा कार्य क्षमता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर क्षेत्र विशेष का विकास नहीं हो पाता है तब सम्पूर्ण राष्ट्र की विकास प्रक्रिया

बाधित हो जाती है। भारतीय गाँवों की तरफ ध्यान दें तो पिछले दशक की व्यापक दूरसंचार क्रान्ति के उपरान्त भी लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का अभाव है। मोबाइल सेवाओं का प्रसार भी आन्तरिक ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं हो पाया है। गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की स्थिति भी लचर ही है। इस प्रकार आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के अभाव में भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का विकास अधूरा है।

ग्रामीण विकास का सम्बन्ध जहाँ एक ओर आधारभूत संरचना से है वहीं दूसरी ओर ग्रामीण श्रमशक्ति की गुणवत्ता से भी है। यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण श्रमशक्ति को वर्तमान वैश्विकृत तथा उदारीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष प्रयास नहीं किये गये हैं। अगर ग्रामीण विकास को केन्द्र में रखकर सोचें तो **बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप तथा ऑल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसिऐशन** द्वारा किए गए अध्ययन को मानना पड़ेगा जिसके अनुसार आने वाले दशक में प्रशिक्षित ग्रामीण श्रमशक्ति की मांग सभी देशों में होगी तथा यह विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन व्यस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो न्यूनतम सांविधिक मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य–सम्बन्धित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2014–15 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केन्द्र सरकार का परिव्यय 41215 करोड़ रूपये था।

मनरेगा देश की सबसे बड़ी योजना है, जिस पर केन्द्र सरकार 40–42 हजार करोड़ रूपये सालाना खर्च करती है। इसके मकसद के बारे में सभी जानते हैं। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम एक कानून है, जो शासन को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह किसी भी ग्रामीण परिवार के वैसे सदस्यों को एक साल में सौ दिन का रोजगार मुहैया कराये, जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और अकुशल मजदूर के रूप में काम करना चाहते हैं। 25 अगस्त 2005 को नरेगा कानून देश में लागू हुआ और तब से अब तक इसका पूरा–पूरा लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए सरकार की चुनौतियाँ कम नहीं हुई हैं, इसकी बड़ी वजह है कि मजदूर में जागरूकता का अभाव, साक्षरता, एकजुटता और प्रतिरोध क्षमता का अभाव। अभी तक पैसे का सीधे तौर पर हस्तान्तरण एक मुख्य वजह थी जिसको अब सुधार लिया गया है।

इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रयशक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्थ–कौशल या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है। सरकार एक कॉल सेन्टर की योजना बना रही है, जिससे शुरू होने पर शुल्क मुक्त नम्बर 1800–345–22–44 पर सम्पर्क किया जा सकता है। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया।[3] इसके अनुसार

Table-1: Time-Line of MGNREGA

August 25th, 2005	NREGA enacted by legalization
September 5th, 2005	Assent of the President
September 7th, 2005	Notified in the Gazette of India
February 2nd, 2006	Came into force in 200 districts
April 1st, 2007	113 more districts were notified
May 15th, 2007	17 more districts were notified
April 1st, 2008	Notified in the remaining rural districts
October 2nd, 2009	Renamed as MGNREGA

Source: Complied from various reports of MGNREGA

लक्ष्य

1. रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभ वंचित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
2. टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों के सृजन, उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा।
3. ग्रामीण भारत में सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण।
4. अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिए सामाजिक रूप से लाभवंचित, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाना।

5. विभिन्न गरीबी उपशमन और आजीविका सम्बन्धी पहलुओं में तालमेल के जरिए विकेन्द्रीकृत, भागीदारी–पूर्ण नियोजन को सुदृढ़ करना।
6. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके जमीनी स्तरों पर लोकतंत्र को मजबूत करना।
7. शासन में बेहतर पारदर्शिता और जबावदेहिता लाना आदि।

इस प्रकार, मनरेगा सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए ग्रामीण भारत में समाजसेवी विकास सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

प्रतिमानात्मक बदलाव

1. मनरेगा में मानव इतिहास में सबसे विशाल रोजगार कार्यक्रम को सफल बनाया है और यह अपनी व्यापकता, संरचना और उद्देश्य में किसी अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम से अलग है। इसकी बॉटम–अप, जन–केन्द्रित, मांग आधारित, स्व–चयनित, अधिकार आधारित डिजाइन विशिष्ट और अद्वितीय हैं।
2. मनरेगा में मजदूरी रोजगार को कानूनी गारंटी दी गई है।
3. यह मांग आधारित कार्यक्रम है जहाँ कार्य का प्रावधान मजदूरी मांगने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई कार्य की मांग से प्रेरित होता है।
4. मांग किए जाने पर कार्य उपलब्ध न कराए जाने तथा किए गए कार्य के लिए मजदूरी के भुगतान में विलम्ब होने की स्थिति में भत्ता और मुआवजा दोनों का कानूनी प्रावधान है।
5. मनरेगा लाभार्थियों के चयन की स्व–लक्षित व्यवस्था के जरिए लक्ष्यीकरण की समस्याओं को दूर करता है अर्थात् बड़ी संख्या में अत्यन्त निर्धन और सीमांत व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत रोजगार मिलता है।
6. अधिनियम राज्यों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि कार्यक्रम की शत–प्रतिशत अकुशल श्रम लागत और 75 प्रतिशत सामग्री लागत का वहन केन्द्र द्वारा किया जाता है।
7. पूर्ववर्ती आवंटन आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से परे मनरेगा मांग आधारित है और प्रत्येक राज्य में रोजगार की मांग के आधार पर केन्द्र से राज्यों को संसाधनों को अंतरण किया जाता है। इससे राज्यों को निर्धनों की रोजगार सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने में अधिनियम का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है।
8. समय पर कार्य उपलब्ध कराने में असफल रहने पर सहवर्ती वित्तीय निरूत्साहन का भी प्रावधान है क्योंकि तब राज्यों को बेरोजगारी भत्ते की लागत का वहन करना पड़ता है।
9. लागत के हिसाब से कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों का कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायतों को वित्तीय संसाधनों के प्रत्यायोजन का यह क्रम अभूतपूर्व है।
10. शुरू किए जाने वाले कार्यों के स्वरूप और चयन से सम्बन्धित योजनाओं और फैसलों, प्रत्येक कार्य को शुरू किए जाने वाले क्रम, स्थान का चयन आदि पर निर्णय ग्राम सभा की खुली बैठकों में किया जाता है तथा ग्राम पंचायत इसकी अभिपुष्टि भी करती है। प्रशासनिक अनुमति दिए जाने से पहले ग्राम सभी मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर निविष्ट किए गए कार्यों को अनुमोदित करती है और उनका क्रम निर्धारित करती है। ग्राम सभा उन्हें स्वीकृत, संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है।
11. उच्चतम प्राधिकरण इन निर्णयों को रद्द नहीं कर सकता है। वे केवल अधिनियम और इसके परिचयनल दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा सुनिश्चित कर सकते हैं।
12. इस बॉटम–अप, जन–केन्द्रित, मांग आधारित संरचना का यह आशय भी है कि मनरेगा की सफलता के लिए जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा मजदूरी मांगने वालों, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के पास है।
13. मनरेगा समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन और आजीविका सृजन परिप्रेक्ष्य में पूर्व के राहत कार्यक्रमों से भी मुक्ति दिलाता है।
14. सामाजिक लेखा परीक्षा एक नई विशेषता है जो मनरेगा का एक अभिन्न हिस्सा है। संभवतः यह विशेष रूप से नए स्टेकहोल्डरों के लिए निष्पादन की एक अभूतपूर्व जवाबदेही तय करता है।
15. मनरेगा के परिणामों पर केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद (सी०ई०जी०सी०) द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार राज्य रोजगार गारंटी परिषदों द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकारों द्वारा राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत करनी होती है ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने में मदद मिल सके। कार्यक्रम के मूलतः नए अध्यायों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अभिनव दृष्टिकोणों की जरूरत होती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मनरेगा के कार्यान्वयन के बिल्कुल अन्तिम

स्तर पर वास्तविक रूप से मनरेगा के नए तत्वों को साकार किया जा रहा है। इस अनुपालन को सुगम बनाने के लिए ही ये परिचालन दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रकार बनाई गई योजना गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (सम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०) कहलाती है।

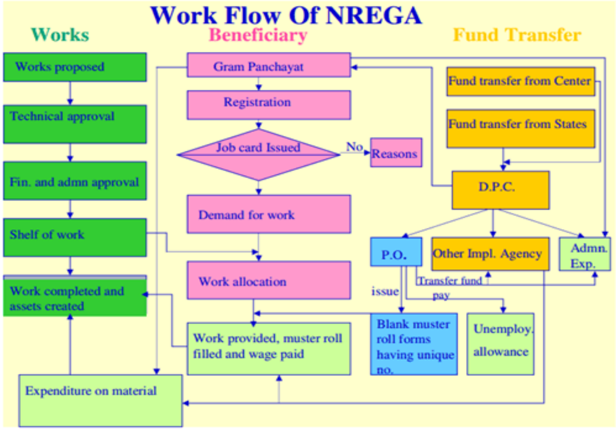

Source: Official web site of MGNREGA (www.nrega.gov.in)

ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी:–

राज्य सरकार, राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में और ऐसी अवधि के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, ऐसी प्रत्येक निर्धन गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य, प्रस्तावित विधान के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ अस्सी दिनों के लिए अकुशल शारीरिक कार्य का उपबन्ध करेगी, जो ऐसा कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार है। इस धारा में यह और उपबन्ध है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने स्कीम के अधीन उसको दिया गया कार्य किया है, साप्ताहिक आधार पर कार्य के प्रत्येक दिन के लिए मजदूरी दिन पर या किसी दशा में उस तारीख को जिसको ऐसा कार्य किया गया था, पश्चात् पन्द्रह दिन के अपश्चात् मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा। इस धारा में यह भी उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर के अधीन प्रत्येक प्रौढ़ सदस्य को गारण्टीकृत अवधि से परे किसी अवधि के लिए, जैसा समीचीन हो, उपबन्ध कर सकेगी।

राज्य सरकार, राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसी अवधि के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, ऐसे प्रत्येक निर्धन गृहस्थी के लिए, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य स्वेच्छा से करना चाहते हैं, प्रस्तावित विधान के अधीन बताई गई स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में सौ दिन से अन्यून ऐसा कार्य उपलब्ध कराएगी। इससे ऐसे प्रत्येक राज्य में, जहाँ विधान को कार्यान्वित किया जाना है, तैयार की जाने वाली स्कीम के अधीन बड़ी संख्या में कार्य उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी। इसमें परियोजनाओं के सामग्री और मजदूरी घटकों सम्बन्धी कार्य के निष्पादन सम्बन्धी व्यय अंतर्वलित होगा। परियोजनाओं के मजदूरी घटक को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वहन किया जाएगा, जबकि सामग्री घटकों का (जिसके अन्तर्गत कुशल और अकुशल कमकारों की मजदूरी भी है) पिच्चहत्तर प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। स्कीम के अधीन व्यय कार्य के लिए रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की संख्या, मजदूरी दर और कार्य के मजदूरी और सामग्री घटकों के संयोजन पर निर्भर होगा। यह मानते हुए कि मजदूरी और सामग्री घटकों के संयोजन पर निर्भर होगा। यह मानते हुए कि मजदूरी और सामग्री घटक का अनुपात साठ से चालीस होगा और औसत मजदूरी दर साठ रूपए प्रतिदिन होगी, नियोजन उत्पन्न करने का खर्च सौ रूपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होने का अनुमान किया गया। अतः किसी निर्धन गृहस्थी को वित्तीय वर्ष में सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का खर्च दस हजार रूपए होने का अनुमान है। यदि सम्पूर्ण देश को इस विधान के अन्तर्गत ले लिया जाए तो सामग्री और मजदूरी घटक सम्बन्धी निधि की, जिसके अन्तर्गत निधियों में राज्य का अंश भी है, कुल अपेक्षा लगभग अड़तीस हजार छह सौ करोड़ रूपए होने का अनुमान है, जिसमें चौंतीस हजार सात सौ चालीस करोड़ रूपए (इसके अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय नहीं है) केन्द्र का अंश होगा। यद्यपि कुल व्यय प्रस्तावित विधान के अधीन देश के क्षेत्रों को लाए जाने की सीमा पर निर्भर होगा। तथापि, यह अनुमान लगाया गया है कि यदि विधान को ऐसे एक सौ पचास जिलों में विस्तारित किया जाता है, जहाँ कार्य के लिए भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है, तो लगभग आठ हजार नौ सौ चौरासी करोड़ सत्तर लाख रूपए की केन्द्रीय निधियों की अपेक्षा होगी। राज्य सरकार सामग्री घटकों का (जिसके अन्तर्गत कुशल और अकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है) पच्चीस प्रतिशत वहन करेगी। चूँकि रोजगार प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराया जाना है, अतः यह व्यय आवर्ती व्यय होगा।

नियोजन गारंटी स्कीमें और बेकारी भत्ता–

प्रत्येक राज्य सरकार को, ऐसी स्कीम के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को और जिसके वयस्क सदस्य, आवेदन द्वारा अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से सामने आते हैं, किसी वित्तीय वर्ष में एक सौ दिनों से अन्यून का गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम बनाने हेतु सशक्त करता है। स्कीम, विधेयक

के खण्ड 3 के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए आशयित है। राज्य सरकार उसके द्वारा बनाई गई स्कीम का संक्षिप्तत विवरण दो स्थानीय समाचार पत्रों में, जिनमें से एक उस क्षेत्र या क्षेत्रों में, जिसको स्कीम लागू की जाती है, प्रचलित जनभाषा में होगा, प्रकाशित करेगी। खण्ड 4 के उपखण्ड 3 में यह उपबन्ध है कि स्कीम में विधेयक की अनुसूची 11 में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम बातें होनी चाहिए।

किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी गृहस्थी को बेकारी भत्ते का संदाय करने का राज्य सरकार का दायित्व उस समय समाप्त हो जाएगा जब आवेदक की गृहस्थी ने मजदूरी और बेकारी भत्ते को साथ मिलाकर इतना उपार्जित कर लिया हो, जो वित्तीय वर्ष के दौरान सौ कार्य दिवसों के बराबर है। बेकारी भत्ते से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

इस अधिनियम (मनरेगा) का मूल उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्त के दौरान कम से कम **100 दिन का गारण्टीशुदा रोजगार** उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, ताकि भारत में रोजगार सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। रोजगार गारण्टी की यह व्यवस्था कई अन्य उद्देश्यों की भी पूर्ति कर सकती है। इस रोजगार गारण्टी से **उत्पादक सम्पदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, गाँवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन** पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

अन्ततः ग्रामीण स्तर पर शिक्षा विकास का होना बेहद आवश्यक है; क्योंकि शिक्षा के बिना लोगों में जागरूकता नहीं लाई जा सकती। शिक्षा का विकास, जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका, योजना क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी की जवाबदेही महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ सूची

1. कुरूक्षेत्र; नई दिल्ली, नवम्बर, 2005; पृ०सं०–40
2. जोशी, बी० दिलीप; डवलपमेण्ट थ्रू रूरल एमपावरमेण्ट; पैराडाइस पब्लिकेशन, जयपुर, 2005; पृ०सं०–77
3. तिवारी, संजय, भारद्वाज, संजयकान्त (2007)ख ''मध्यप्रदेश में ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना'', ग्रामीण विकास समीक्षा, खण्ड–41, अंक–3 पृ०सं०–53
4. सिंह, रघुवंश प्रसाद (2008), ''अमल में रोजगार गारण्टी कार्यक्रम योजना'', खण्ड–53, अंक–8, पृ०सं०–25
5. द्विवेदी, रमेश प्रसाद (2008), ''राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना क्रियान्वयन की समस्या'', पंचायत सखी पत्रिका, खण्ड–12, अंक–1, पृ०सं०–39